



निःशुल्क

## “सर्वजन पेंशन योजना”

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था / निराश्रित महिला सम्मान / HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति के सहायतार्थ पेंशन योजना / स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना हेतु  
**आवेदन पत्र**

(आवेदक जिस योजना हेतु आवेदन दे रहे हैं उसमें (✓) लगाये और अन्य को काट दें)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम - .....
2. पिता/पति का नाम - .....
3. पता - मकान सं०- ..... ग्राम/मुहल्ला- .....  
पंचायत/वार्ड - ..... प्रखण्ड/अंचल (शहर) - .....  
जिला- राँची।
4. मतदाता पहचान पत्र :- .....
5. आधार संख्या -
6. बैंक खाता संख्या-
7. बैंक का नाम - ..... 8. IFSC CODE - .....
9. कोटि - सामान्य/अनु० जाति/ अ०ज०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग - .....
10. आयु - 



 11. आवेदक का पहचान विह - .....
12. लाभुक का मोबाइल नम्बर -
13. क्या आवेदिका विधवा/परित्यक्ता महिला/एकल महिला है ? (उल्लेख करें)- .....
14. क्या आवेदक/आवेदिका दिव्यांग है ? (हौं/ नहीं)- .....
15. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता का प्रकार - (शारीरिक/मानसिक/दृष्टिगत/मूक-बधिर/अन्य)- .....
16. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता का प्रतिशत - .....
17. ART/ARD Number (सिर्फ HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए)- .....
18. संलग्न प्रमाण पत्र :- 

|   |  |
|---|--|
| ➤ आधार कार्ड की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा आधार नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।   | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ➤ 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक की मतदाता पहचान पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति।   | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ➤ विधवा रहने पर आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति।  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ➤ 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी/नगरीय क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण-पत्र, अथवा माननीय विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| ➤ दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 Section-2 (r) के अनुसार benchmark disability (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) अथवा Section-2 (s) "person with disability" अथवा Section-2 (t) "person with disability having high support needs" अथवा Section-2 (ze) "specified disability" की श्रेणी में आता हो) की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति। | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| ➤ HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति का ART/ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र।  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| ➤ बैंक खाता का पासबुक की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति।   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| ➤ पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र।   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

**घोषणा:-** मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस प्रखण्ड/अंचल का/की रथायी निवासी हूँ। मुझे केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनान्तर्गत किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है।

Photo

## सत्यापन प्रतिवेदन

- (i) आवेदक/आवेदिका वृद्ध/निराश्रित महिला/दिव्यांग/ HIV/ AIDS पीड़ित व्यक्ति हैं इनकी उम्र ..... वर्ष है। आवेदक द्वारा दिये गये दस्तावेज की जाँच की गई और जाँच में इनका दस्तावेज सही पाया। आवेदक/आवेदिका द्वारा पत्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र समर्पित किया गया है। अतः संकल्पानुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता/करती हूँ। (अस्वीकृति कीअनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।  
(.....)

जाँच पदाधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर

- आवेदक/आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त उन्हें .....  
..... पेंशन योजना अन्तर्गत TSP/SCSP में पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।  
 आवेदक/आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। .....

स्वीकृत/अस्वीकृत

स्वीकृति संख्या एवं तिथि:-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी।

नोट :- उपर्युक्त कंडिकाओं में से जो लागू न हो उसे काट दें।

# घोषणा पत्र

पेंशन आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र

मैं आवेदक/आवेदिका का नाम:- ..... पिता/पति का नाम:- .....

उम्र- ..... पता—ग्राम/मुक्ति- ..... पो- ..... थाना- .....

पंचायत/वार्ड नं.- ..... प्रखण्ड/अंचल- ..... जिला- .....

एतद द्वारा निम्न बिन्दुओं के होने की घोषणा करता/करती हूँ कि:-

a) मैं या मेरी पत्नी/मेरा पति, केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करता/करती हूँ।

b) मैं आयकर अदा करने वाले परिवार से संबंध नहीं रखता/रखती हूँ।

c) मैं, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से नहीं प्राप्त कर रहा/रही हूँ।

d) मैं पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधार संख्या उपयोग हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

नोट:- उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

आवेदक/आवेदिका/घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर